राज्य परिवहन प्राधिकार, जयपुर

आदेश

अन्तर्गत परिचलन पत्र संख्या 2.8.1 दिनांक 22.09.2017 एजेण्डा संख्या 2.11.48 दिनांक 15.09.2017 एवं एजेण्डा सख्या 1.1.173 दिनांक 26.09.2017

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 12994/2017 श्रीमति सुशीला बिश्नोई पत्नि श्री कैलाश बिश्नोई बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.07.2017 को दिये गये आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 80(1) के अंतर्गत अनुज्ञापत्र के आवेदन को ग्रहण करने से मना नहीं करने की प्रत्याशा की जाती है तथा इस प्रकार से प्राप्त आवेदन को राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.6 एवं 5.7 के तहत निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावे। निर्णय में लिखा है कि "The question as to whether application was made or not made is a question of fact and with no formal filing procedures having been notified, it cannot be addressed by the court. It is however expected that application made for grant of permit will not be refused acceptance and will be disposed of within the time frame of rule 5.6 and 5.7 of the Rules of 1990."

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची श्रीमति सुशीला बिश्नोई ने उनके वाहन संख्या RJ07PA8705 जोधपुर से बीकानेर अधिसूचित मार्ग संख्या (161) पर रिक्तियों की प्रत्याशा में अपने पूर्व धारित गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र बीकानेर–पोकरण (अधिसूचित मार्ग) में प्रसंगगत् मार्ग का सम्मिलितिकरण स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर को प्रस्तुत किया। सचिव आर.टी.ए. ने अधिसूचित मार्ग होने की वजह से तथा रिक्तियों के विज्ञापित नहीं होने के कारण इन पर कार्यवाही नहीं की गई। इस वजह से याची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उक्त याचिका में यह आदेश प्राप्त किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर ने प्रार्थिया याची का आवेदन जरिये परिचलन पत्र 2.8.1 दिनांक 22.09.2017 सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार को विचारार्थ प्रेषित किया।

परमिट स्वीकृति के लिये चाहा गया मार्ग एक अधिसूचित मार्ग है जहां स्कोप का निर्धारण किया हुआ है। अधिसूचित मार्ग पर स्कोप निर्धारित होने के मध्येनजर पारदर्शिता को अपनाते हुए अन्य पक्षकारों एवं हितबद्ध आवेदकों के लिए इन रिक्तियों को विभागीय वेबसाईट पर एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार बीकानेर एवं जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 80(3) के अंतर्गत परमिट प्रकारान्तर (variation) हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुये 28.08.2017 को प्रदर्शित किया गया तथा आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 04.08.2017 रखी गयी। प्राप्त प्रकरणों पर दिनांक 09.10.2017 को परिवहन आयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष में अपरान्ह 2:30 बजे सुनवाई रखी गई। बीकानेर जोधपुर (अधिसूचित मार्ग) पर वर्तमान में 6:12 का रिक्त स्कोप विद्यमान है।

इस विज्ञप्ति के अनुसरण में याची आवेदनकर्त्ता के आवेदन के अलावा सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सीकर से जरिये एजेण्डा पत्र संख्या 2.11.48 दिनांक 15.09.2017 अंतर्गत धारा 80 (3) मोटरवाहन अधिनियम, 1986 मार्ग के प्रकारान्त हेतु दो आवेदन प्राप्त हुये, जिनके अनुसार आवेदक श्री कैलाश कुमावत ने अपने वाहन संख्या RJ07PA9357 परमिट धारक जयपुर–बीकानेर (अधिसूचित मार्ग) तथा श्री छोटूराम ने अपने वाहन संख्या

Scanned by CamScanner

RJ107PA6069 (परमिट धारक जयपुर–बीकानेर अधिसूचित मार्ग) के पूर्व धारित अनुज्ञापत्रों में प्रसंगत मार्ग (बीकानेर–जोधपुर) का एक सकल सेवा के लिये सम्मिलितिकरण आवेदित किया है।

आवेदक श्रीमती सुशीला विश्नोई के वाहन संख्या RJ07-PA-8705 पर बीकानेर नोखा अधिसूचित मार्ग का अनुज्ञापत्र दो एकल सेवाओं के साथ है मार्ग की लम्बाई 222 किमी है, उसके द्वारा आवेदित सम्मिलितिकरण मार्ग बीकानेर–जोधपुर 248 किमी. लम्बा है तथा दो एकल सेवायें प्रस्तावित की गई है। अतः इस सम्मिलितिकरण के उपरान्त वाहन को 940 किमी. प्रतिदिन संचालित करना होगा तथा STA के संकल्प अनुसार प्रतिदिन वाहन लगभग 21 घन्टे संचालित होगा, जो नितान्त ही अव्यवहारिक प्रकट होता है। अतः यह आवेदन निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री कैलाश कुमावत एवं छोटू राम ने भी अपने मूल अनुज्ञापत्र के साथ प्रसंगगत् मार्ग का सम्मिलितिकरण दो के स्थान पर एक एकल सेवा के लिये प्रस्तुत किया है जो लोकहित की पूर्ति नहीं करते है, अतः इनके आवेदन भी निरस्त किये जाते है।

उपरोक्त के अलावा सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, अजमेर ने जरिये एजेन्डा संख्या 1.1.173 दिनांक 26.09.2017 धारा 80(1) के अंतर्गत प्राप्त 29 आवेदन पत्र विचारण हेतु प्रेषित किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	वाहन संख्या	मॉडल
1	बृज लाल डेलू	RJ07-PA-3634	2015
2	मनोज कुमार डेलू	RJ07-PA-9372	2016
3	भगवान राम	RJ05-PA0207	2016
4	सीताराम बिश्नोई	RJ50-PA-0190	2016
5	रामनिवास मण्डा	RJ50-PA-0209	2016
6	सामा	RJ50-PA-0199	2016
7	मैसर्स अनमोल बस सर्विस	RJ32-PA-2645	2016
8	मैसर्स अनमोल बस सर्विस	RJ32-PA-2644	2016
9	संतरा देवी	RJ10-PA-5551	2013
10	आयशा बानो	RJ07-PB-3671	2016
11	आयशा बानो	RJ07-PB-0935	2016
12	अली शेर	RJ07-PB-2591	2017
13	राम प्रकाश चौधरी	RJ19-PB-2420	2016
14	राम प्रकाश चौधरी	RJ19-PB-2532	2016
15	प्रेमा राम	RJ50-PA-0213	2016
16	सुशीला बिश्नोई	RJ07-PA-8705	2015
17	प्रदीप कुमार	RJ07-PB-7500	2016
18	कैलाश	RJ07-PA-8355	2015
19	हनुमान राम	CH-BO2420	2017
20	हनुमान राम	RJ07-PA-9758	2016
21	भागीरथ जाट	RJ21-PA-3377	2016
22	रामदेव	RJ21-PA-2519	2015
23	सम्पत भाटी	RJ21-PA-2517	2015
24	सुखराम	RJ21-PA-4575	2015
25	रूपा राम	RJ21-PA-5475	2016
26	भंवर राम	RJ21-PA-2791	2016
27	महेन्द्र सिंह	RJ19-PB-2918	2016
28	हिम्मत सिंह शेखावत	CH-GD5092	2017
29	मो. असलम	RJ19-PB-7400	2016

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आवेदक (1)श्री बृजलाल डेलू (RJ07-PA-3634/2015), (2) श्रीमती संतरा देवी (RJ10-PA-5551/2013), (3) श्रीमती सुशीला बिश्नोई (RJ07-PA-8705/2015), (4) श्री कैलाश (RJ07-PA-8355/2015), (5) श्री रामदेव (RJ21-PA-2519/2015), (6) श्री सम्पत भाटी (RJ21-PA-2517/2015), (7) श्री सुखराम (RJ21-PA-4575/2015) के वाहन राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित मॉडल के नहीं है, अतः इनके आवेदन निरस्त किये जाते है।

अन्य आवेदक (1) श्री हिम्मत सिंह शेखावत (चैसिस नंबर DG5092/2017), (2) श्री भागीरथ जाट(RJ21-PA-3377) द्वारा मार्ग पर निर्धारित स्कोप के अनुसार दो एकल सेवा के स्थान पर एक एकल सेवा के साथ आवेदन प्रस्तुत किये है। अनुज्ञापत्र स्वीकृति के विचारण में लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अतः इन आवेदकों के प्रसंगगत मार्ग पर लोकहित पूर्ति करने हेतु निर्धारित एकल सेवायें प्रदान करने में कमोतरी किये जाने का प्रयोजन (intention) प्रकट होता है, अतः इनके आवेदन निरस्त किये जाते है।

शेष आवेदनों में सर्वोच्च वरीयता धारी (Most meritorious) आवेदकों के चयन के लिये वाहन का उच्चतर मॉडल कन्डीशन वाहन विनिर्माण माह/वर्ष का नवीनतम होना एवं इनके समान होने पर Latest पंजियन तिथि को आधार मान कर वरीयता प्रदान किया जाना इसलिये उचित समझा जाता है कि कतिपय संचालक एक पूर्व कल्पित अवधारण के प्रभाव में वाहन क्रय करने के काफी अर्से बाद यथा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/आवेदन विचारण की तिथि पर उस वाहन का पंजियन करवा कर वाहन के नवीनतम होने के दावे से वरीयता प्राप्त करने का आग्रह करते है। जैसा कि हस्तगत प्रकरण में आवेदक अनमोल बस सर्विस के द्वारा प्रस्तावित वाहन का विनिर्माण जनवरी, 2016 किन्तु पंजीयन दिनांक 09.05.2017 एवं आयशा बानों, विनिर्माण 2016 एवं पंजियन दिनांक 13.04.2017 के मामलों में प्रकट हो रहा है।

उपरोक्त मापदण्ड के मद्देनजर सर्वप्रथम वर्ष 2017 में विर्निमित एवं 2017 में ही पंजिकृत वाहनों के मामले में विचारण किया गया। आवेदक श्री हनुमान राम ने आवेदन पत्र में चैसिस क्रमांक B02420 के लिय आवेदन किया था, विचारण के समय उसके द्वारा इस चैसिस पर वाहन संख्या RJ-07PB0524 विनिर्माण 2/2017 तथा पंजियन दिनांक 03.10.2017 बैठक क्षमता 55 का पंजियन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन मैसर्स अनमोल बस सर्विस ने अपने आवेदन में उल्लेखित वाहन संख्या RJ-32PA2644 के स्थान पर इसी नाम से पंजिकृत वाहन संख्या RJ32PA2695 विनिर्माण 04/2017 पंजियन दिनांक 01.09.2017 बैठक क्षमता 55 को प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसको स्वीकार किया गया।

आवेदक श्री अलीशेर के आवेदन में उल्लेखित वाहन संख्या RJ-07PB2591 वर्ष 2017 में विनिर्मित है तथा दिनांक 13.04.2017 को पंजीकृत है तथा बैठक क्षमता 57 है।

वर्ष 2016 में विनिर्मित एवं 2016 में पंजिकृत वाहनों की उच्चतर मॉडल कंडीशन नवीनतम विनिर्माण माह एवं Latest पंजियन तिथि के मानक पर परीक्षण करने पर आवेदक रूप राम (वाहन संख्या RJ-21PA5475 विनिर्माण 08/2016 पंजियन 13.04.2017), महेन्द्र सिंह (वाहन संख्या RJ-19PB2918 विनिर्माण 07/2016 पंजियन 30.12.2016) तथा भंवराराम (वाहन संख्या RJ-21PA2791 विनिर्माण 07/2016 पंजियन 07.11.2016) 2016 माडल्स में सर्वोच्च वरीयता ग्रहण करते है। वर्ष 2016 में विनिर्मित अन्य आवेदकों के वाहन (1) RJ-50 PA0207, (2) RJ-50 PA 0209, (3) RJ-50 PA 0199, (4) RJ-32 PA 2645, (5) RJ-50 PA 0213, (6) RJ-29 PB 7400 जुलाई, 2016 से पूर्व के निर्मित है अतः इन्हे निम्नतर वरीयता प्रदान की जाती है। वाहन संख्या RJ-07 PA 9372, RJ-50 PA 0190, RJ-32 PA 2644, RJ-07 PB3671, RJ-07PB 0935, RJ-19 PB 2532, RJ-07PB 7500, RJ-07 PA 9758 के विनिर्माण माह का अंकन पंजियन प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं है। वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों के निर्माण माह विक्रय प्रमाणपत्र में इस प्रयोजन के लिये नहीं लिखवाया गया प्रतीत होता है कि वर्ष पर्यन्त की वरीयता प्राप्त कर सकें।

14/11

SECRETARY
TRANSPORT AUTHORITY
RAJASTHAN, JAIPUR

Scanned by CamScanner

अतः सभी आवेदनों की पूर्ण विवेचना, विचारण के समय प्रस्तुत किये लिखित मौखिक तर्क एवं प्रदत्त सूचनाओं का मनन, अनुशीलन एवं विश्लेषण करने के बाद राज्य प्राधिकार द्वारा अपनाई गयी अहर्त्ताओं एवं अधिमानों के आधार आवेदक (1)अलीशेर (RJ07-PB-2591), (2)अनमोल बस सर्विस (RJ32-PA-2695), (3)हनुमान राम (RJ07-PB-0524), (4)रूप राम (RJ21-PA-5475), (5)भवंरा राम (RJ21-PA-2791), (6)महेन्द्र सिंह (RJ19-PB-2918) के पक्ष में जोधपुर–बीकानेर (अधिसूचित मार्ग) पर दो एकल सेवाओं के साथ गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते है। इस आदेश में उल्लेखित तालिका के क्रम संख्या 2,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,17,20 एवं 29 पर अंकित आवेदकों के आवेदन रिक्तियों के अभाव में अस्वीकृत किये जाते है।

साथ ही सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को आदेशित किया जाता है कि परमिट जारी करने से पूर्व निम्न की पालना सुनिश्चित की जाए:–

(i) अनुज्ञापत्र जारी करते समय वाहन आवेदक के नाम पर हो।
(ii) सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित संकल्प संख्याः एसटीए–03/2015 दिनांक 02.09.2015 में विहित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाए।
(iii) जिस वाहनों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वह अनुज्ञापत्र जारी करते समय अन्य किसी अनुज्ञापत्र से कवर्ड न हो।
(iv) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाए।
(v) वाहनों के समस्त कर भुगतान की संतुष्टि की जाए।
(vi) किराया सूची एवं समय सारणी जारी की जाए व सेवाओं (Trips) का इन्द्राज अनुज्ञापत्र के दोनों भाग में किया जाए।
(vii) उपरोक्त वाहनों के संचालन स्थल नियत कर निर्धारित स्थल से संचालन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को पारित किया गया।

14/11/2017

(आर.सी.यादव)
सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार
जयपुर।

SECRETARY
STATE TRANSPORT AUTHORITY
RAJASTHAN, JAIPUR

सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
अजमेर/जोधपुर/सीकर

Scanned by CamScanner